

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक:- मुसप्र/2019/1105

दिनांक:- 18/12/2019

कार्यालय आदेश

राजस्थान आवासन मण्डल की 239वीं बैठक दिनांक 08.11.2019 के बिन्दु संख्या 239.27 के निर्णय अनुसार मानसरोवर आवासीय योजना के अन्तर्गत स्थित शिवम अपार्टमेंट, वी.टी. अपार्टमेंट, भृगु अपार्टमेंट एवं कावेरी अपार्टमेंट में मध्यम आय वर्ग-ब के 30 एवं उच्च आय वर्ग के 3 कुल 33 फ्लैटों को उप आवासन आयुक्त वृत्त-द्वितीय, जयपुर एवं अतिरिक्त मुख्य अभियंता-प्रथम, जयपुर द्वारा ई-ऑक्शन के माध्यम से निस्तारण का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। उप आवासन आयुक्त वृत्त-द्वितीय, जयपुर एवं अतिरिक्त मुख्य अभियंता-प्रथम, जयपुर की अनुशंसा के आधार पर प्राप्त प्रस्ताव अनुसार ई-ऑक्शन में 0-25 प्रतिशत ऋणात्मक वर्तमान आरक्षित दर में निस्तारण की स्वीकृति एतद द्वारा प्रदान की जाती है। जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	योजना का नाम	आय वर्ग	फ्लैट संख्या
1.	शिवम अपार्टमेंट	मध्यम आय वर्ग-ब (एस+3)	70/B-307 (Total-01)
2.	वी.टी. अपार्टमेंट	उच्च आय वर्ग (बी+एस+9)	53/A1-902 (Total-01)
3.	भृगु अपार्टमेंट	मध्यम आय वर्ग-ब (बी+एस+10)	12/B-103, 12-B-201, 12-B-202, 12-B-203, 12-B-302, 12-B-303, 12-B-402, 12-B-403, 12-B-503, 12-B-603, 12-B-702, 12-B-703, 12-B-801, 12-B-903, 12-B-1001, 12-B-1002, 12-B-1003, 12-B1-103, 12-B1-303, 12-B1-401, 12-B1-402, 12-B1-403, 12-B1-503, 12-B1-601, 12-B1-701, 12-B1-703, 12-B1-801, 12-B1-803, 12-B1-901 (Total-29)
4.	कावेरी अपार्टमेंट	उच्च आय वर्ग (एस+4)	1-KA-306, 1-KA-406 (Total-02)
कुल			33

संबंधित उप आवासन आयुक्त एवं अतिरिक्त मुख्य अभियंता द्वारा उक्त आवास/फ्लैटों का निस्तारण न्यूनतम ऋणात्मक वर्तमान आरक्षित दर में 0-25 प्रतिशत के Slab में रखते हुए ई-ऑक्शन के तहत मण्डल द्वारा जारी कार्यालय आदेश क्रमांक 164 दिनांक 21.08.19 में निर्धारित शर्तों के अनुसार निस्तारण किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित हैं।



(कश्मी कौर)
मुख्य संपदा प्रबन्धक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव-अध्यक्ष/आवासन आयुक्त महो. राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. मुख्य अभियन्ता-मुख्यालय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-प्रथम, रा0आ0मा0, जयपुर।
4. निजी सचिव-वित्तीय सलाहकार, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
5. अति0 निजी सचिव-मुख्य सम्पदा प्रबन्धक, रा0आ0म0 जयपुर।
6. उप आवासन आयुक्त, वृत्त-द्वितीय, रा0आ0म0, जयपुर।
7. आवासीय अभियन्ता, खण्ड-षष्ठम/नवम, रा0आ0म0 जयपुर।
8. संयुक्त एनालिस्ट (निदेशक), रा.आ.म., जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश की प्रति मण्डल की वेबसाइट पर डलवाये व सभी संबंधित उप आवासन आयुक्त/आवासीय अभियन्ता को मेल करें।
9. प्रभारी नागरिक सेवा केन्द्र, (मु0), रा0आ0मं0, जयपुर।
10. रक्षित पत्रावली।

अ.प.
मुख्य सम्पदा प्रबंधक

कम्प्यूटर उन्नीस